28/3/23

पत्रावली मूल वाद के मध्य पेश हुई।
वाद वादी द्वारा पैरवी हेतु
हाजरी के लिए नियत की जाती
है। अतः आदेश 212 RTA का
कोई औचित्य नहीं रह जाता है
अतः आदेश 212 RTA लिए
नियत करते है। पत्रावली फैसल
शुमार रजिस्टर किए जाने का
आदेश कार्यालय को दिया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner